"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 873] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 नवम्बर 2025 — कार्तिक 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2025

क्र. 6800/डी. 164/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 02—05—2025 को राज्यपाल एवं दिनांक 06—11—2025 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप—सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 34 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान अधिनियम, 2025.

विषय–सूची

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

अध्याय–दो
कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

2. धारा 92 का संशोधन.
3. नवीन धारा 92क एवं 92ख का अंतःस्थापन.
4. धारा 106 का संशोधन.
5. नवीन अनुसूची का अंतःस्थापन.

अध्याय–तीन
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

6. धारा 22 का संशोधन.
7. धारा 25 का संशोधन.

अध्याय–चार
ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 का संशोधन

8. धारा 32ब का अंतःस्थापन.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 34 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान **अधिनियम, 2025.**

(एक) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)

(दो) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

(तीन) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16)

को छत्तीसगढ़ राज्य में उनके लागू हुए रूप में अग्रतर संशोधन हेतु तथा प्रकीर्ण उपबंध करने एवं उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो
कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

धारा 92 का संशोधन

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 92 में, शब्द "उपबंधों में से" के पश्चात् तथा शब्द "या किसी" के पूर्व, शब्द तथा अंक "(धारा 6 या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम को छोड़कर)" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 92क तथा 92 ख का अंतःस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 92 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :–

"92क. **अपराधों का प्रशमन.** –(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में प्रशमन शुल्क निर्धारित कर सकती है, जो धारा 92 के अधीन विनिर्दिष्ट जुर्माने से अधिक नहीं होगा, और मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या पश्चात् में ऐसी राशि के लिए ऐसे अपराध का शमन कर सकता है :

परंतु यह कि, शमन किए जाने वाले अपराध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या खतरनाक घटना होती है।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, –

(एक)अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व की स्थिति में, अपराधी ऐसे अपराध के संबंध में, अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् की स्थिति में, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा ऐसा प्रशमन लिखित रूप में उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर, अपराधी को दोषमुक्त कर दिया जाएगा.

92ख. धारा 6 के उल्लंघन के लिये जुर्माना. – इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और धारा 93 के उपबन्धों के अध्यधीन, यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में, इस अधिनियम की धारा 6 या उसके

अधीन बनाए गए किसी नियम के या उसके अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो कारखाने का अधिभोगी अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, परंतु जिसमें तीन लाख रुपये तक की वृद्धि की जा सकती है, और यदि उल्लंघन, दोष सिद्धी के बाद भी जारी रहता है, तो ऐसा उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।"

धारा 106 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 106 में, शब्द 'तीन मास' के स्थान पर, शब्द 'छह मास' प्रतिस्थापित किया जाये।

अनुसूची का अंतःस्थापन

5. मूल अधिनियम से संलग्न तीसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाये,अर्थात् :–

"चौथी अनुसूची
(धारा 92 क देखिये)
शमनीय अपराधों की सूची

स. क्र.	इसके अधीन धाराएं और नियम बनाए गए हैं और इसके आदेश जारी किए गए हैं	अपराध की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 11 – साफ़–सफ़ाई	प्रावधानों के अनुरूप साफ–सफाई नहीं रखना.
2.	धारा 18 – पीने का पानी	प्रावधान के अनुरूप पेयजल की व्यवस्था नहीं करना एवं रखरखाव नहीं करना।
3.	धारा 19 – शौचालय और मूत्रालय	प्रावधानों के अनुरूप शौचालय एवं मूत्रालय उपलब्ध नहीं कराना।
4.	धारा 20 – थूकदान	(क) प्रावधानों के अनुसार थूकदान उपलब्ध नहीं

		कराना। (ख) धारा 20 की उप–धारा (3) का उल्लंघन करते हुए थूकना।
5.	धारा 42 – धुलाई की सुविधाएँ	प्रावधान के अनुरूप धुलाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराना एवं रख–रखाव नहीं करना।
6.	धारा 43 – कपड़ों के भंडारण और सुखाने की सुविधाएं	प्रावधान के अनुरूप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं।
7.	धारा 44 – बैठने की सुविधा	प्रावधान के अनुरूप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं।
8.	धारा 45 की उप–धारा (1), (2) और (3) – प्राथमिक चिकित्सा उपकरण	प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं कराना एवं रखरखाव नहीं करना।
9.	धारा 46 – कैंटीन	प्रावधान के अनुरूप कैंटीन उपलब्ध नहीं कराना एवं उसका रखरखाव नहीं करना।
10.	धारा 47 – आश्रय, विश्राम कक्ष और दोपहर के भोजन के कक्ष	प्रावधानों के अनुसार आश्रय, विश्राम कक्ष और दोपहर के भोजन कक्ष उपलब्ध नहीं कराना और उनका रखरखाव नहीं करना।
11.	धारा 48 – पालनाघर	प्रावधानों के अनुरूप पालना गृह उपलब्ध नहीं कराना एवं रखरखाव नहीं करना।
12.	धारा 53 की उप–धारा (2) – प्रतिपूरक छुट्टियाँ	नोटिस प्रदर्शित नहीं करना और क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए रजिस्टर का रखरखाव नहीं करना।
13.	धारा 59 की उप–धारा (5) – ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त वेतन	निर्धारित रजिस्टरों का संधारण नहीं करना।
14.	धारा 60 – दोहरे	किसी कर्मकार को किसी भी दिन दोहरे रोजगार की

	रोजगार पर प्रतिबंध	आवश्यकता या अनुमति देना।
15.	धारा 61 – वयस्कों के लिए काम की अवधि की सूचना	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
16.	धारा 62 – वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर	प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
17.	धारा 63 – धारा 61 के अधीन नोटिस के साथ पत्राचार करने के लिए काम के घंटे	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
18.	धारा 79 – वेतन सहित वार्षिक अवकाश	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
19.	धारा 80 – छुट्टी की अवधि के दौरान मजदूरी	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
20.	धारा 81 – कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
21.	धारा 83 – नियम बनाने की शक्ति	नियमानुसार रजिस्टरों का संधारण नहीं करना तथा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।
22.	धारा 84 – कारखानों को छूट देने की शक्ति	छूट आदेश में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं करना।
23.	धारा 93 – कुछ परिस्थितियों में परिसर के मालिक का दायित्व	उप–धारा (1) और उप–धारा (3) के खंड (एक) एवं (छः) में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना।
24.	धारा 97–कर्मकारों द्वारा अपराध	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
25.	धारा 108 – सूचनाओं का प्रदर्शन	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
26.	धारा 110 – रिटर्न	प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

27.	धारा 111ए – कर्मकारों का अधिकार, इत्यादि।	कर्मकारों के अधिकारों का हनन।
28	धारा 114 – सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं और उपयुक्तता	उपलब्ध किसी सुविधा के लिए कर्मकार से शुल्क की मांग करना।"

अध्याय–तीन
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

धारा 22 का संशोधन

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 14) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 22 की उप–धारा (1) तथा (2) में, शब्द "लोक उपयोगी सेवा", जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "औद्योगिक प्रतिष्ठान" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25–ट का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 25–ट की उप–धारा (1) में, शब्द "एक सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन सौ" प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–चार
व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का संशोधन

धारा 32ख का अंतःस्थापन

8. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 32क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :–

"**32ख. अपराधों का प्रशमन.**– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 31, 32 और 32क में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, ऐसे अधिकारी और प्रशमन शुल्क निर्धारित कर सकती है, जो क्रमशः धारा 31, 32 और 32क के अधीन निर्दिष्ट जुर्माने से अधिक नहीं होगा तथा अभियोजन संस्थित होने से पूर्व या पश्चात्, ऐसी राशि के लिए, ऐसे अपराध का

शमन कर सकेगा :

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, –

(एक)अभियोजन संस्थित होने से पूर्व की स्थिति में, अपराधी ऐसे अपराध के संबंध में, अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित होने के पश्चात् की स्थिति में, रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन द्वारा ऐसा प्रशमन लिखित रूप में उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर, अपराधी को दोषमुक्त कर दिया जाएगा।''

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2025

क्र. 6800/डी. 164/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान अधिनियम, 2025 (क्रमांक 34 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 34 of 2025)

CHHATTISGARH LABOUR LAWS AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2025.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER-I
PRELIMINATRY

1. Short title, extend and commencement.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948.

2. Amendment of Section 92.
3. Insertion of Section 92A and 92B.
4. Amendment of Section 106.
5. Insertion of Fourth Schedule.

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947.

6. Amendment of Section 22.
7. Amendment of Section 25.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE TRADE UNIONS ACT, 1926.

8. Insertion of Section 32B.

CHHATTISGARH ACT
(No. 34 of 2025)

CHHATTISGARH LABOUR LAWS AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2025.

An

Act

further to amend,-

(i) the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948),
(ii) the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947),
(iii) the Trade Unions Act, 1926 (No. 16 of 1926),

in their application to the State of Chhattisgarh and to make miscellaneous provisions and for other matters connected therewith of incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINATRY

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Labour Laws Amendment and Miscellaneous Provisions Act, 2025. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publications in the Official Gazette.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

2. In the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), (hereinafter referred to as the Principle Act), in Section 92, after the word "thereunder" and before the word and the punctuation ",the occupier", the words and figure "(except Section 6 or of any rules made thereunder)" shall be inserted. **Amendment of Section 92.**

3. After Section 92 of the Principle Act, the following Section shall be added, namely:— **Insertion of Section 92A and 92B.**

"**92A. Compounding of offences.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, prescribe compounding fee in respect of the offences specified in the Fourth Schedule which shall not be more than the fine specified under Section 92, and the Chief Inspector or the Inspector may compound such offence before or after institution of the prosecution for such amount:

Provided that, the offence to be compounded does not involve any contravention of any of the provisions of this Act or of any rules made thereunder resulting in an accident causing death or serious bodily injury or dangerous occurrence.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1),—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution in respect of such offence;

(ii) after the institution of the prosecution, such compounding shall be brought by the Chief Inspector or the Inspector in writing, to the notice of the court in which the prosecution is pending and on such notice of the compounding of offence being given, the offender shall be acquitted.

92B. Fine for violation of Section 6.– Save as otherwise expressly provided in this Act and subject to the provisions of Section 93, if in, or in respect of, any factory there is any contravention of Section 6 of this Act or of any rules made thereunder or of any order in writing given thereunder, the occupier of the factory shall be guilty of an offence and punishable with a fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend up to three lakh rupees, and if the contravention is continued after the conviction, then, with further fine which may extend to two thousand rupees for each day till such contravention continues."

4. In Section 106 of the Principle Act for the words "three months" the words "six months" shall be substituted. **Amendment of Section 106.**

5. After the Third Schedule appended to the Principle Act, the following Schedule shall be inserted, namely :- **Insertion of Schedule.**

"THE FOURTH SCHEDULE (See Section 92A) List of compoundable offences		
S. No.	**Section and rules framed thereunder and the order issued**	**Nature of offence**
(1)	(2)	(3)
1.	Section 11 – Cleanliness	Not maintaining cleanliness as per the provisions.

2.	Section 18 - Drinking water	Not providing and maintaining arrangements for drinking water as per the provisions.
3.	Section 19 - Latrines and urinals	Not providing latrine and urinal accommodation as per the provisions.
4.	Section 20 – Spittoons	(a) Not providing the spittoons as per the provisions. (b) Spitting in contravention of sub-section (3) of Section 20.
5.	Section 42 - Washing facilities	Not providing and maintaining washing facilities as per the provisions.
6.	Section 43 - Facilities for storing and drying clothing	Not providing facilities as per the provisions.
7.	Section 44 - Facilities for sitting	Not providing facilities as per the provisions.
8.	Sub-sections (1), (2) and (3) of Section 45 – First aid appliances	Not providing and maintaining first-aid appliances as per the provisions.
9.	Section 46 – Canteens	Not providing and maintaining canteen as per the provisions.
10.	Section 47 - Shelters, rest rooms and lunch rooms	Not providing and maintaining shelters, rest rooms and lunch rooms as per the provisions.

11.	Section 48 – Crèches	Not providing and maintaining crèches as per the provisions.
12.	Sub-section (2) of Section 53 – Compensatory holidays	Not displaying the notice and not maintaining the register for compensatory holiday.
13.	Sub-section (5) of Section 59 - Extra wages for overtime	Not maintaining the prescribed registers.
14.	Section 60 - Restriction on double employment	Requiring or allowing a worker a double employment on any day.
15.	Section 61 - Notice of periods of work for adults	Not complying with the provisions.
16.	Section 62 - Register of adult Workers	Not maintaining register as per the provisions.
17.	Section 63 - Hours of work to correspond with notice under section 61	Not complying with the provisions.
18.	Section 79 - Annual leave with wages	Not complying with the provisions.
19.	Section 80 - Wages during leave period	Not complying with the provisions.
20.	Section 81 - Payment in advance in certain cases	Not complying with the provisions.
21.	Section 83 - Power to make rules	Not maintaining registers as per rules and not complying with the provisions.
22.	Section 84 - Power	Not complying with the conditions

	to exempt factories	specified in the exempting order.
23.	Section 93 - Liability of owner of premises in certain circumstances	Not complying with the provisions contained in sub-section (1) and clauses (i) and (vi) of sub-section (3).
24.	Section 97 - Offences by workers	Not complying with the provisions.
25.	Section 108 - Display of notices	Not complying with the provisions.
26.	Section 110 - Returns	Not complying with the provisions.
27.	Section 111A - Right of workers, etc.	Denial of rights of workers.
28.	Section 114 - No charge for facilities and conveniences	Demanding charge from worker for providing any facility."

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947.

Amendment of Section 22.

6. .In the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), (hereinafter referred to as the Principle Act), in sub-section (1) and (2) of Section 22, for the words "public utility service", wherever they occur, the words "An industrial establishment" shall be substituted.

Amendment of Section 25-K.

7. In sub-section (1) of Section 25-K of the Principle Act, for the words "one hundred", the words "three hundred" shall be substituted.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE TRADE UNION ACT, 1926.

8. In the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926), (hereinafter referred to as the Principle Act), after Section 32A, the following Section shall be added, namely:- **Insertion of Section 32B.**

"**32B. Compounding of offences.**- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, prescribe such officer and compounding fee in respect of the offences specified in Section 31, 32 and 32A which shall not be more than the fine specified under Section 31, 32 and 32A, respectively and may compound such offence before or after institution of the prosecution for such amount.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1),-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution in respect of such offence;

(ii) after the institution of the prosecution, such compounding shall be brought by the Registrar, Trade Union in writing, to the notice of the court in which the prosecution is pending and on such notice of the compounding of offence being given, the offender shall be acquitted."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.